न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट संख्या–14/जे०एम०, गोरखपुर।

ममता यादव.........**बनाम**.......अनिल यादव आदि

परिवाद सं०–22760/2022

थाना–पिपराईच, जनपद–गोरखपुर

दिनांक–10.02.2025

आज पत्रावली पेश हुयी। बार–बार पुकार कराये जाने पर भी परिवादिनी उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी अपने इस परिवाद के निस्तारण पर कोई बल नहीं देना चाहती है। उसके द्वारा कोई भी हाजिरी माफी अथवा मौका प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवादिनी को अब आगे अन्य अवसर दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त/विपक्षी के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः न्यायालय का मत है कि अभियुक्त/विपक्षी विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य नही है।

अतः परिवादिनी का परिवाद, परिवादिनी की अनुपस्थिति में और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद, परिवादिनी की अनुपस्थिति में और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–10.02.2025

(दीपिका)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट संख्या–14/जे०एम०,गोरखपुर।

Digitally signed by DEEPIKA
Date: 2025.02.10 17:08:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court